2. उक्त व्यक्ति माल या सेवाओं या दोनों की जावक पूर्ति जो नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (2) में यथाविनिर्दिष्ट तिमाही के दौरान उक्त सारणी के स्तंभ (3) की तत्स्थानी प्रविष्टि में यथा विनिर्दिष्ट समयाविध तक की गई है, के ब्यौरे को प्ररुप जीएसटीआर-1 में प्रस्तुत सकते हैं, अर्थात्:-

सारणी

क्रम सं.	तिमाही, जिसके लिए प्ररुप जीएसटीआर-1 में ब्यौरे	प्ररुप जीएसटीआर-1 में ब्यौरे	
	प्रस्तुत किए जाते हैं	प्रस्तुत करने की समयावधि	
(1)	(2)	(3)	
1.	जुलाई-सितंबर, 2017	10 जनवरी, 2018	
2.	अक्तूबर-दिसंबर, 2017	15 फरवरी, 2018	
3.	जनवरी-मार्च, 2018	30 अप्रैल, 2018	

3. अधिनियम की धारा 38 की उपधारा (2) और धारा 39 की उपधारा (1) के अधीन जुलाई, 2017 से मार्च, 2018 मास के लिए, यथास्थिति ब्यौरे या विवरणी को प्रस्तुत करने के लिए विशेष प्रक्रिया या समय सीमा के विस्तार को पश्चातवर्ती रूप से राजपत्र में अधिसूचित किया जाएगा ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, ए.पी. त्रिपाठी, विशेष सचिव.

नया रायपुर दिनांक 29 दिसंबर, 2017

क्रमांक एफ-10-98 /2017/वाक/पांच (186).- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10- 98/2017/वाक/पांच (186), दिनांक 29-12-2017 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतदद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

> छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, ए.पी. त्रिपाठी, विशेष सचिव.

Naya Raipur, the 29th December 2017

NOTIFICATION No. 71/2017 – State Tax

No. F-10-98/2017/CT/V (186) .- In exercise of the powers conferred by section 148 of the Chhattisgarh Goods and Services Tax Act, 2017 (7 of 2017), and in supersession of notification No. 57/2017–State Tax dated the 15th November, 2017, published in the Gazette (Extraordinary) of Chhattisgarh, No. 489, dated the 15th November, 2017, except as respects things done or omitted to be done before such supersession the State Government, on the recommendations of the Council, notifies the registered persons having aggregate turnover of upto 1.5 crore rupees in the preceding financial year or the current financial year, as the class of registered persons who may follow the special procedure as detailed below for furnishing the details of outward supply of goods or services or both.

2. The said persons may furnish the details of outward supply of goods or services or both in FORM GSTR-1 effected during the quarter as specified in column (2) of the Table below till the time period as specified in the corresponding entry in column (3) of the said Table, namely:-

Table

SI No.	Quarter for which the details in FORM GSTR-1 are furnished	Time period for furnishing the details in FORM GSTR-1
(1)	(2)	(3)
1	July - September, 2017	10 th January, 2018
2	October - December, 2017	15 th February, 2018
3	January - March, 2018	30 th April, 2018

3. The special procedure or extension of the time limit for furnishing the details or return, as the case may be, under sub-section (2) of section 38 and sub-section (1) of section 39 of the Act, for the months of July, 2017 to March, 2018 shall be subsequently notified in the Official Gazette.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh, A.P. TRIPATHI, Special Secretary.

नया रायप्र, दिनांक 29 दिसंबर 2017

अधिसूचना सं. 73/2017-राज्य कर

क्रमांक एफ-10- 98/2017/वाक/पांच(187). - राज्य सरकार, छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 7) (जिसे इस अधिसूचना में इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 128 द्वारा प्रदत्त शाक्तियों प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर, किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा नियत तारीख तक प्ररूप जीएसटीआर-4 में विवरणी देने में असफल रहने के लिए उक्त अधिनियम की धारा 47 के अधीन देय विलंब फीस की रकम को अधित्यक्त करती है, जो ऐसे प्रत्येक दिन जिस के दौरान ऐसी असफलता जारी रहती है, पच्चीस रुपये की रकम से अधिक है।

परंतु जहां उक्त विवरणी में राज्य कर के स्थान पर देय कुल रकम शून्य है, वहां उक्त अधिनियम की धारा 47 के अधीन नियत तारीख तक उक्त विवरणी प्रस्तुत करने में असफलता के लिए ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा देय विलंब फीस की रकम, ऐसे विस्तार तक, जो प्रत्येक दिन के लिए लिए जिसके दौरान असफलता जारी रहती है, दस रुपये की रकम से अधिक है, अधित्यक्त रहेगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, ए. पी. त्रिपाठी, विशेष सचिव.